

10-11-25

पत्रावली पेश हुई। तकील जार्धी या जार्धी
खंप उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर
भी उपस्थित नहीं हुए। अतः जार्धी का यह गणध
अदम पैसी-अदम हाजिरी में इसी स्तर पर
खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरीक
तकनील होकर शानिल इफ्तार है।

निर्णय लिखा जाकर बुले न्यायालय
में हुआ गया।

(प्रिया बजाज)
RAS